रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18022025-261140
SG-DL-E-18022025-261140

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---|---|---|
| सं. 54] | दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2025/माघ 29, 1946 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 403 |
| No. 54] | DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2025/MAGHA 29, 1946 | [N. C. T. D. No. 403 |

भाग IV
PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
## GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### सेवाएं विभाग

### अधिसूचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2025

**फा. सं. 3(3)/1/PROM.S.III/2023/178**.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा0 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2022 में संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त शीर्षक और संशोधन :**

(i) इन नियमों को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाए।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

**2. नियम 7 का संशोधन (सेवा का भावी अनुरक्षण)**

''उक्त नियमों'' के नियम 7 के खंड (2) के विद्यमान उप–खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :
"(ख) निजी सचिव के ग्रेड में समस्त रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा, चयन द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएंगा।"

**3. अनुसूची–II का संशोधन**

**क.** क्रम संख्या 1 "उक्त नियमों" की अनुसूची–II के क्रम संख्या 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

**"1. ग्रेड : प्रधान निजी सचिव :**

स्तर 11 : 67700–208700/– रुपये

**भर्ती की पद्धिति :**

100% पदोन्नति द्वारा।

**पदोन्नति :**

न्यूनतम 08 वर्षों की नियमित सेवा सहित नियमित रूप से नियुक्त निजी सचिव तथा जिसने यूटीसीएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले कम से कम 2 सप्ताह के अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।

**टीप :** इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से नियमित आधार पर स्तर–8 में निजी सचिव का पद धारण करने वाले मौजूदा पदाधिकारियों के लिए पदोन्नति हेतु पात्रता सेवा छह वर्ष बनी रहेगी।"

ख. "उक्त नियमों" की अनुसूची–II के क्रम संख्या 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

**"3. ग्रेड : निजी सहायक :**

स्तर 7 : 44900–142400/– रुपये

**भर्ती की पद्धति :**

(i) 85 प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति द्वारा, चयन द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(ii) 15 प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) द्वारा।

**पदोन्नति :**

ग्रेड में न्यूनतम 10 वर्षों की नियमित सेवा सहित नियमित रूप से नियुक्त आशुलिपिक तथा यूटीसीएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले कम से कम 2 सप्ताह के अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।

**एलडीसीई :**

ग्रेड में न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा सहित नियमित रूप से नियुक्त आशुलिपिक।

**प्रतिनियुक्ति :**

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश में आशुलिपिक संवर्ग के अधिकारी :
(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा
(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरांत प्रदत्त ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष।

**टीप 1 :** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पाने वाले उम्मीदवार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार करने के पात्र नहीं होंगे।

**टीप 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा (आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को) 56 वर्षों से अधिक नहीं होंगी।"

ग. "उक्त नियमों" की अनुसूची–II के टीप V के पश्चात् निम्नलिखित टीप VI को जोड़ा जाएगा :

**नोट–VI**–संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि अर्थात् दिनांक 10.05.2022 से पूर्व नियमित आधार पर आशुलिपिक का पद धारण करने वाले कर्मचारियों के लिए आशुलिपिकों से निजी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता सेवा पांच वर्ष बनी रहेगी।"

**4. अनुसूची–III का संशोधन**

"उक्त नियमों" की अनुसूची–III के क्रम संख्या 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

**(1) प्रधान निजी सचिव :**

**समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति**

(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग–अध्यक्ष
(ii) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य
(iii) प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य,

**समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) :**

(i) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष
(ii) सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य
(iii) प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य

**टीप :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2022 को दिनांक 10.05.2022 की अधिसूचना संख्या फा0 3(10)/संवर्ग पुनर्गठन/2016/एस–III/पार्ट फाइल/1087 के द्वारा अधिसूचित किया गया, जिसे दिल्ली राजपत्र–असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

भैरब दत्त, उप. सचिव (सेवाएँ)

**SERVICES DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th February, 2025

**F. No. 3(3)/1/PROM.S.III/2023/178.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.27/59-Him (i) dated the 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with Union Public Service Commission, is pleased to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Stenographers Service Rules, 2022, namely:-

**1. Short title and Amendment:**

(i) These rules may be called the "Government of National Capital Territory of Delhi Stenographers Service (Amendment) Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of Rule 7 (Future Maintenance of Service)**

In Rule 7 of "the said rules" for existing sub clause (b) of clause 2, the following shall be substituted:

"(b) All vacancies in the grade of Private Secretary shall be filled by promotion by selection failing which by deputation."

**3. Amendment of Schedule-II**

**a.** Sl. No. 1 of Schedule-II of "the said rules" shall be substituted as under:

"1. Grade: Principal Private Secretary:

Level 11: Rs. 67700-208700/-

**Method of Recruitment:**

100% by promotion.

**Promotion:**

A regularly appointed Private Secretary with minimum of 08 years of regular service and having successfully completed the mandatory in-service training of at least 2 weeks to be organized by UTCS.

**Note:** Eligibility service for promotion shall continue to be six years for existing incumbents holding the post of Private Secretary in Level-8 on regular basis on the date of notification of these rules."

b. Sl. No. 3 of Schedule-II of "the said rules" shall be substituted as under:

**"3. Grade: Personal Assistant:**

Level 7: Rs. 44900-142400/-

**Method of Recruitment:**

(i) 85% vacancies by promotion by selection failing which by Deputation

(ii) 15% vacancies by LDCE

**Promotion:**

A regularly appointed Stenographer with minimum of 10 years of regular service in the grade and having successfully completed the mandatory in- service training of at least 2 weeks to be organized by UTCS.

**LDCE:**

A regularly appointed Stenographer with minimum of 05 years of regular service in the grade.

**Deputation:**

Officers of Stenographer cadre under the Central Govt./State Govt./UTs:

(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) With five year service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department.

**Note 1:** The Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization/department of the central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years (as on the closing date of receipt of applications.)"

c. The following note VI shall be added after Note V of Schedule-II of "the said rules":

**Note-VI-** The eligibility service required for promotion to the post of Personal Assistant from Stenographers shall continued to be five years for officials holding the post of Stenographer on regular basis before the date of notification of the revised rules i.e. 10.05.2022."

**4. Amendment of Schedule-III**

Sl. No. 1 of Schedule-III of "the said rules" shall be substituted as under:

**(1) Principal Private Secretary:**

**Group 'A' DPC**

(i) Chairman/Member, UPSC-Chairman

(ii) Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi - Member

(iii) Principal Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi - Member

**Group 'A' DCC (for Considering Confirmation)**

i. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi- Chairperson

ii. Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi-Member

iii. Principal Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi-Member"

**Note:** The Govt. of National Capital Territory of Delhi Stenographers Service Rules, 2022 were notified vide notification No. F.3(10)/Cadre Restructuring/2016/S-III/Pt. File/1087 dated 10.05.2022, published in the Delhi Gazette-Extraordinary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi.

BHAIRAB DUTT, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.18 19:53:34 +05'30'